

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(परशुराम धानका, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

14 / 2020

प्रविष्टि दिनांक:-

16.12.2020

- 1-सीता पत्नी महावीर धाकड़ निवासी भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
- 2-प्रधान पुत्र महावीर धाकड़ निवासी भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
- 3-शैतान पुत्र महावीर धाकड़ निवासी भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
- 4-माया पुत्री महावीर धाकड़ निवासी भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
- 5-रामलाल पुत्र पोलू धाकड़ निवासी भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

बनाम

....प्रार्थीगण

- 1-हरजीराम पुत्र मांगीलाल धाकड़ निवासी भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
- 2-ग्राम पंचायत भांवता, पंचायत समिति टोडारायसिंह जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

.....प्रतिपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1994 विरुद्ध पट्टा आवासीय भू-खण्ड ग्राम पंचायत भांवता तहसील टोडारायसिंह दिनांक 07.06.2019 तथा प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 07.06.2019 ग्राम पंचायत भांवता तहसील टोडारायसिंह

उपस्थित: (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट अभिभाषक प्रार्थीगण

(2) श्री हंसराज धाकड़ श्री विजय कुमार एडवोकेट अभिभाषक अप्रार्थीगण सं० 1

निर्णय

दिनांक 01.08.2022

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी नं. 2 ने दिनांक 07.06.2019 को प्रतिपक्षी नं. 1 के पक्ष में ग्राम भांवता तहसील टोडारायसिंह की आबादी में कुल क्षेत्रफल 197.22 वर्गगज भू-खण्ड का आवासीय पट्टा सं. 20 प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 07.06.2019 के आधार पर जारी किया है जो प्रथम दृष्टया ही राजस्थान पंचायत एक्ट के नियमों तथा प्रार्थीगण के हितों एवं मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित होने से तथा चलने योग्य नहीं होने से उसको अपास्त कराने के लिए उसके विरुद्ध यह निगरानी पेश की है।

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिपक्षी सं. 2 द्वारा ग्राम भांवता तहसील टोडारायसिंह की आबादी में स्थित पक्षकारान के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए पुश्तैनी भू-खण्ड के संबंध में प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 07.06.2019 के आधार पर प्रतिपक्षी नं. 1 के पक्ष में उसका पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। पक्षकारान मांगीलाल धाकड़ निवासी भांवता के जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी है, वादग्रस्त भू-खण्ड पक्षकारान का पुश्तैनी है जो वर्षों पहले मांगीलाल द्वारा बनाया हुआ है तथा उसके द्वारा छोड़ा हुआ है जिस पर मांगीलाल के देहान्त के बाद उसके सभी वारिसान का हिस्से के अनुसार कब्जा व उपयोग-उपभोग चला आ रहा है, इस भू-खण्ड पर पहले बाड़ा बना हुआ था जिसका पक्षकारान बाड़े के रूप में उपयोग-उपभोग करते चले



बांदांरस्त बिडा कलेक्टर  
टोंक

आ रहे थे, यह भू-खण्ड तन्हा प्रतिपक्षी नं. 1 का या उसके स्वयं का बनाया हुआ नहीं है बल्कि ग्राम भांवता की आबादी में स्थित है जो पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से है परन्तु प्रतिपक्षी नं. 1 ने ग्राम पंचायत से मिली-भगत कर सम्पूर्ण भू-खण्ड का पट्टा आम रास्ते की तरफ गैर कानूनी तरीके से स्वयं तन्हा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार करवा लिया है। मांगीलाल के तीन पुत्र हुए जिसमें से कल्याण लाओलाद मर चुका है, हरजीराम प्रतिपक्षी सं. 1 है, पोलू तथा उसके पुत्र महावीर की मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी सं. 1 ता 4 महावीर के वारिसान हे तथा रामलाल प्रार्थी सं. 5 है इस प्रकार मांगीलाल द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति में से प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिपक्षी नं. 1 का 1/2 हिस्सा है, पक्षकारान के मध्य अभी तक सम्पत्ति का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, बल्कि वादग्रस्त भू-खण्ड अविभाजित है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं. 1 अपने मवेशी बांधते हैं, चारा, रोडी, कृषि कार्य में उपयोग में आने वाले सामान इत्यादि रखते हैं इस भू-खण्ड में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व हित-निहित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को अर्थात् मांगीलाल के सभी वारिसान को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है तथा कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया है, किसी प्रकार सार्वजनिक उद्घोषणा चरपा नहीं की गयी है तथा नियमानुसार आपत्तियां भी आमंत्रित तथा निर्णित नहीं की है, मौके की वास्तविक कब्जे की जांच भी नहीं की गई है, एक तरफा में जारी प्रस्ताव तथा तैयार करवायी गयी मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रतिपक्षी नं. 1 का कब्जा मानकर गैर कानूनी तरीके से प्रतिपक्षी सं. 1 के नाम पट्टा जारी किया है।

अभिभाषक निगरानीकर्ता का यह भी कथन है कि प्रतिपक्षी सं. 1 ने दिनांक 01.12.2020 को जबरन बिना किसी अधिकार व बिना विधिवत विभाजन के पुश्तैनी भू-खण्ड पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने के उद्देश्य से नीचे खोदना प्रारम्भ कर दिया तथा प्रार्थीगण से नाजायज झगडा करना शुरू किया जबकि तथाकथित पट्टे के आधार पर उसको सम्पूर्ण भू-खण्ड पर बिना विभाजन निर्माण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, प्रार्थीगण को उससे पहले तथाकथित पट्टे की जानकारी नहीं थी जिनको पहली बार दिनांक 01.12.2020 को प्रतिपक्षी नं. 1 द्वारा उसके हक में पट्टा होने के कारण प्रार्थीगण को मौके से बेदखले करने तथा जबरन निर्माण कार्य करने की धमकी दी तथा झगडा करने पर आमदा हुआ, प्रतिपक्षी नं. 1 के हक में जारी पट्टा तथा प्रस्ताव प्रारम्भतः ही अवैध हैं। अतः निगरानी प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रतिपक्षी नं. 2 द्वारा प्रतिपक्षी नं. 1 के हक में ग्राम भांवता तहसील टोडारायसिंह की आबादी में 197.22 वर्गगज का जारी आवासीय पट्टा सं. 20 तथा प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 07.06.2019 निरस्त किया जावें।

अभिभाषक नॉन रिविजनर सं0 1 की ओर से अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया है कि उक्त निगरानी प्रार्थीगण रिवीजनर द्वारा ग्राम पंचायत भावंता द्वारा जारी किये गये पट्टा सं0-20 दिनांक 07.06.2019, प्रस्ताव सं0- 4 के विरुद्ध पेश की गई है, जो कि लगभग 18 माह की अत्यधिक देरी से पेश की गई है। देरी से निगरानी पेश करने के सम्बन्ध में कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। उक्त पट्टे की जानकारी



बाहारत विद्या उद्योग  
दोष

दिनांक 07.06.2019 को जारी उक्त पट्टे का स्पष्ट रूप से अंकन किया हुआ है और जब तक उक्त वाद का निर्णय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश मालपुरा द्वारा नहीं कर दिया जाता है तब तक यह रिवीजन इस न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं है क्योंकि जमीन को शामिल करने एवं पैतृक होने के निर्णय करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि रिवीजनर को उक्त विवादित पट्टे की जानकारी पूर्व में थी। लेकिन उसके उपरांत भी तथ्य छिपाते हुए यह रिवीजनर दिनांक 14.12.2020 को पेश की है जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों की जानकारी रिवीजनकर्ता को होने के उपरांत भी रिवीजनकर्ता ने दिनांक 14.12.2020 को रिवीजन काफी देरी से पेश की है, इससे स्पष्ट है कि रिवीजनकर्ता स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं और रिवीजनकर्ता ने रिवीजन के पेटा संख्या-7 में वाद करण में दिनांक 01.12.2020 को पट्टे की जानकारी होने के तथ्य पूर्णतया गलत, झूठे एवं असत्य अंकित किये हैं। अतः दिनांक 01.12.2020 को कोई वाद करण उत्पन्न नहीं होने की वजह से रिवीजनकर्तागण की यह रिवीजन इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। रिवीजनर द्वारा प्रस्तुत इस रिवीजन की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्याय को प्राप्त नहीं है। क्योंकि रिवीजनकर्तागण ने रिवीजन पेश करने से पूर्व उक्त पट्टे को निरस्त कराने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम पंचायत समिति के समक्ष आवेदन पेश करना चाहिये था, लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही उनके द्वारा पंचायत समिति के समक्ष पेश नहीं की है, पट्टे के सम्बन्ध में सर्वप्रथम कार्यवाही पंचायत समिति के समक्ष की जाती है। उसके उपरांत ही निगरानी पेश की जाती है। उसके उपरांत भी उक्त रिवीजन दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। इस कारण से भी यह रिवीजन खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत भांवता द्वारा विधिक एवं नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए पंचायत राज अधिनियम के तहत नॉन रिवीजवर सं01 को उसके स्वामित्व वाले आवासीय भूखण्ड का पट्टा सं0 20 दिनांक 07.06.2019 को विधिक एवं नियमानुसार जारी किया गया है, जो मौके की सही एवं वास्तविक स्थिति के अनुसार जारी किया गया है। नॉन रिवीजनर सं02 द्वारा पंचायत राज अधिनियम के तहत समस्त नियमों की पालना की गई है तथा नॉन रिवीजनर सं0 2 ने पंचायत राज की धारा 145 से 157 के सभी नियमों की पालना की है, उसके उपरांत ही ग्राम पंचायत ने नॉन रिवीजनर सं01 के हक में पट्टा जारी किया गया है। दिनांक 05.07.2018 को ग्राम पंचायत की बैठक में नॉन रिवीजनर सं0 1 ने आबादी भूमि में स्थित अपने स्वयं के स्वामित्व एवं आधिपत्य वाले आवासीय भूखण्ड/मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया गया था, जिसका अंकन दिनांक 05.07.2018 की ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही के प्रस्ताव सं0- 7 के कम सं0 7 में दर्ज है, जिसमें आगामी ग्राम पंचायत की बैठक में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पंचो को पाबंद किया गया था। उसके उपरांत आगामी बैठक दिनांक 06.08.2018 में भी नॉन रिवीजनर सं01 के पट्टे की पत्रावली पर पर चर्चा हुई, जिसमें नॉन रिवीजनर सं01 को आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु कहा, इसी दौरान महावीर अर्थात् रिवीजनकर्तागण के पिता द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 18.07.2018 को एक प्रार्थनापत्र



  
बाबारस जिला कलेक्टर  
दोंब

पेश किया, जिसमें उसके द्वारा यह अंकित किया कि पड़ोसीयों के मध्य आपसी सीमाओं एवं बंटवारे का विवाद चल रहा है, जिस कारण किसी भी प्रकार का कोई पट्टा नॉन रिवीजनर सं01 को जारी नहीं करने बाबत पेश किया था, जिसमें उक्त विवादित जगह पैतृक होने सम्बन्धी कोई तथ्य महावीर द्वारा अंकित नहीं किये गये थे। दिनांक 11.08.2018 को ग्राम पंचायत भांवता की आम सभा में भी वार्ड पंच एवं समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में प्रस्ताव सं0 4 पर रिवीजनकर्तागण के पिता महावीर द्वारा दिनांक 18.07.2018 को प्रस्तुत किये गये आपत्ति प्रार्थनापत्र पर गहनता से विचार कर नॉन रिवीजनर सं0 1 हरजीराम को अपने मकान से सम्बन्धित दस्तावेज एवं पड़ोसियों से मकान की सीमाओं सम्बन्धित पट्टा जारी करने की सहमति बाबत ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बाबत विचार विमर्श किया गया था। उक्त दिनांक 11.08.2018 को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रधान पुत्र महावीर धाकड भी उपस्थित था और उसके हस्ताक्षर ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर पर मौजूद है। उसके उपरांत दिनांक 20.12.2018 को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं0- 7 पर ग्राम पंचायत में प्राप्त समस्त पट्टा पत्रावली की जाँच कर पंचायत द्वारा नियुक्त कमेटी को वस्तु स्थिति की जाँच कर आगामी बैठक में जाँच रिपोर्ट पेश करने बाबत निर्देशित किया गया था। उसके उपरांत दिनांक 07.01.2019 को ग्राम पंचायत की बैठक के प्रस्ताव सं0 7 में भी समस्त चर्चा हुई थी, जिसमें हरजीराम द्वारा अपने स्वामित्व व आधिपत्य के मकान की सीमाओं को लेकर पड़ोसीयों से हस्ताक्षर करवाकर पड़ोसीयों की सहमति का प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया था। उसके बाद आगामी ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.01.2019 को प्रस्ताव सं0- 6 पर समस्त पत्रावली पर गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उपस्थित आवासीय आवेदन पत्रों का एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था। जिसमें आपत्ति नोटिस को सावर्जनिक स्थानों, आवेदकों के मकान पर चस्पा करने का निर्णय लिया गया था। आगामी ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.02.2019 को प्रस्ताव सं0 3 व 4 पर नॉन रिवीजनर सं01 की पट्टा पत्रावली पर चर्चा हुई थी, जिसमें वार्ड पंच लालाराम ने बताया कि हरजीराम पुत्र मांगीलाल धाकड के पट्टे पर आपत्ति बेबुनियाद है, महावीर पुत्र पोलू धाकड का उक्त भूखण्ड से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। ग्राम पंचायत की बैठक में विचार-विमर्श कर महावीर द्वारा आपत्ति पर अगर महावीर के पास उक्त भूखण्ड के पुख्ता दस्तावेज हैं तो आगामी 4 दिवस में ग्राम पंचायत बैठक में प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया और अगर आपत्तिकर्ता पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं करता है तो आगामी ग्राम पंचायत की बैठक में आवेदनकर्ता को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 24.02.2019 को विशेष ग्राम सभा के आयोजन हुआ, जिसमें प्रस्ताव सं0- 5 पर उपस्थित ग्रामवासीयों एवं स्वयं महावीर की उपस्थिति में गठित वार्ड पंचों ने बताया कि उक्त भूखण्ड जिसमें हरजीराम धाकड निवासरत है, वह स्वयं का पुश्तैनी मकान है। इसका विवादित बाड़ा जो पंचायत भवन के पास है, उसको हरजीराम ने महावीर धाकड को सौंप दिया है, जो दोनों का सिरोला/ शामलाती था। प्रार्थनापत्र में भी पड़ोसीयों की सहमति के आधार पर नॉन रिवीजनर सं01 हरजीराम को पट्टा दिये जाने वावत् कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके उपरांत भी पंचायत द्वारा 3 वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर आगामी बैठक



  
 बाँसवाड़ा जिला उदर...  
 दो

मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत की आगामी बैठक दिनांक 01.03.2019 को प्रस्ताव सं0 4 पर मौका रिपोर्ट पर चर्चा की गई और गठित 3 वार्ड पंचो द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट पंचायत कोरम के समक्ष पेश की गई, जिसमे यह अंकित किया गया कि "उक्त भूखण्ड पर हरजीराम पुत्र मांगीलाल पिछले 40-50 वर्षों से मकान बनाकर अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है एवं इस पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई सरोकार / कब्जा/उज्र या दावा नहीं है, शिकायतकर्ता द्वारा अन्य खातेदारी भूमि से सम्बन्धित विवाद के कारण प्रार्थी हरजीराम को मकान का पट्टा नहीं बनाने सम्बन्धित आपत्ति दर्ज करवायी है, जो गलत है।" और गठित समिति द्वारा हरजीराम पुत्र मांगीलाल को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के आवासीय मकान का पट्टा जारी किये जाने को न्यायोचित बताया। दिनांक 05.03.2019 की ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं0- 9 पर नॉन रिवीजनर सं01 के द्वारा प्रस्तुत आवासीय आबादी भूमि में स्थित मकान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं हुई जिस पर विचार विमर्श करके हरजीराम को पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मती से लिया गया। जिस पर दिनांक 07.06.2019 को ग्राम पंचायत बैठक की कार्यवाही के प्रस्ताव सं0 4 पर आज दिवस तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उक्त पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय को प्राप्त नहीं होने वार्ड पंचो की कमेटी द्वारा आवास स्थल निरीक्षण रिपोर्ट का मौका नक्शा निर्धारित अवधि का आपत्ति नोटिस की प्राप्ति एवं पडौसीयो की अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने से ग्राम पंचायत ने एवं कोरम ने उक्त भूखण्ड का पट्टा नियमानुसार नॉन रिवीजनर सं0 1 हरजीराम पुत्र मांगीलाल के पक्ष में जारी करने का निर्णय दिनांक 07.06.2019 को पारित करते हुए पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुसार एवं पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी होने के उपरांत पट्टे का रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक कार्यालय टोडारायसिंह में 19.08.2019 को किया जा चुका है, जो पुस्तक सं01, जिल्दसं0- 311 में पृष्ठ सं.- 88. क्रम सं0- 201903044101952 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक सं01, जिल्द संख्या 960 के पृष्ठ सं0- 155 से 162 पर चस्पा किया गया है, ऐसी स्थिति में भी उक्त पट्टा विधि अनुसार है, जो निरस्तनीय नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.06. 2018 को प्रस्ताव सं0 20 सही एवं विधिवत् रूप से जारी किया गया है. उक्त भूखण्ड से रिवीजर का कोई लेना-देना नहीं है. रिवीजनर का कब्जा नहीं है, उक्त भूखण्ड पैतृक नहीं है, उक्त भूखण्ड नॉन रिवीजर सं01 के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है, जिसका उपयोग व उपभोग नॉन रिवीजनर सं01 विगत 40-50 वर्षों से कच्चा मकान बनाकर रह रहा है। उक्त भूखण्ड पुश्तैनी नहीं है और ना ही रिवीजनर का इसमें कोई हिस्सा है। रिवीजनर का आधा हिस्सा होने, उसके मेवशी बांधने, उसमें चारा डालने, शादी-विवाह मृत्यु के कार्यक्रम करने, कृषि कार्य आदि करने बाबत कथन पूर्णतया गलत है। रिवीजनर ने केवल मात्र बदनियती के आधार पर यह झूठी रिवीजन पेश की है। क्योंकि नॉन रिवीजनर सं01 हरजीराम के कोई औलाद पुत्र नहीं है और उसने अपने दोहिते शिवराज को गोद लेकर स्वयं की जमीन को उसके नाम लगा दी, जिससे नाराज होकर यह रिवीजन पेश की है। ग्राम पंचायत ने महावीर एवं रिवीजनकर्तागण को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया है, ग्राम वासियों व उक्त भूखण्ड के पडौसीयो की लिखित सहमति एवं मौके पर वास्तविक कब्जे बाबत सम्पूर्ण



  
 बाबतस चिन्ता कठक...  
 दौब

रिवीजनर को दिनांक 01.12.2020 को होने के तथ्य अंकित किये हैं, जबकि रिवीजनर व उसके पिता को उक्त पट्टे को जारी किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही जानकारी थी, क्योंकि व परिवार रिवीजनर एवं नॉन रिवीजनर सं० 1 एक ही गांव के हैं और उक्त आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी होने से पूर्व रिवीजनर के पिता महावीर धाकड ने दिनांक 18.07.2018 को ग्राम पंचायत के समक्ष नॉन रिवीजनर को आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही शुरू होने के दौरान एक हरजीराम, प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो पट्टा जारी नहीं करने के सम्बन्ध में पेश किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा रिवीजनर के प्रार्थना पत्र पर विधिक एवं पंचायत राज अधिनियम के अनुसार रिवीजनर की सम्पूर्ण आपत्तियों को खारिज करते हुए नॉन रिवीजनर सं० 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जिसकी जानकारी प्रारम्भ से ही रिवीजनर व उनके पिता को थी, लेकिन उसके उपरांत भी उनके द्वारा मियाद अवधि में कोई निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पट्टे को निरस्त कराने के सम्बन्ध में पेश नहीं की है। लगभग 18 माह की देरी से उक्त निगरानी पेश की है, जो मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है।

रिवीजनर सं० 2 प्रधान, शिकायतकर्ता महावीर का जायंदा पुत्र है, जो महावीर के साथ शिकायत के समय मौजूद था और पट्टा पत्रावली के सम्बन्ध में दिनांक 11.08.2019 को आयोजित आम सभा में मौजूद था, जिसके हस्ताक्षर भी आम सभा के कार्यवाही रजिस्टर में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत भावंता की मिटिंग दिनांक 24.02.2019 को विशेष ग्राम सभा के आयोजन के दौरान भी रिवीजनर के पिता महावीर स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था और उसके हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर पर मौजूद हैं, इससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टे के सम्बन्ध जानकारी में प्रारम्भ से ही महावीर एवं रिवीजनकर्ता को थी, लेकिन उसके उपरांत भी केवल मात्र नॉन रिवीजनर सं० 1 को हैरान एवं परेशान करने की नियत से यह रिवीजनर उनके द्वारा मियाद अवधि में पेश नहीं की है। रिवीजनकर्ता सं० 2 प्रधान ने नॉन रिवीजनर सं० 1 ने तत्कालीन सरपंच के खिलाफ दिनांक 05.08.2020 को जरिये इस्तमाला एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०- 403/2020, 30 धारा 420, 467, 468, 471 भा०द०स० के तहत दर्ज करवायी गई जिसमें भी रिवीजनर द्वारा विवादित पट्टा सं० 20 के प्रस्ताव सं०- 4 दिनांक 07.06.2018 का अंकन किया गया है, जिसमें दौराने अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी ने उक्त भूखण्ड को नॉन रिवीजनर सं० 1 हरजीराम के स्वामित्व एवं आधिपत्य का माना और महावीर व उसके परिवारजनो का कोई लेना-देना नहीं मानते हुए बाद जाँच अनुसंधान अधिकारी ने एफ आर पेश कर दी है। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त विवादित पट्टे को की जानकारी रिवीजनर पूर्व में ही थी लेकिन उसके उपरांत भी रिवीजनर द्वारा गलत व झूठे तथ्य अंकित करते दिनांक 01.12.2020 को वाद कारण बनाते हुए यह रिवीजनर पेश की है, जो इसी स्टेज पर नामंजूर व खारिज किये जाने योग्य है। विवादित पट्टे को लेकर ही रिवीजनर द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश मालपुरा जिला टोंक के विरुद्ध नॉन रिवीजनर सं० 1 व अन्य के विरुद्ध एक दावा तकासमा, अकृत शून्य घोषित किये जाने पट्टा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी सीता बनाम हरीराम, वाद सं०- 11/2020 पेश किया हुआ है। उक्त वादपत्र में भी ग्राम पंचायत द्वारा



  
**बी.बी.रतन बिजा कलुवट**  
 डी.डी.

जाँच कर कानूनी रूप से पंचायत नियम 145, 157 के प्रावधानों के अनुसार नॉन रिवीजनर सं0 1 के पक्ष में यह पट्टा जारी किया है, एवं रिवीजन के पिता एवं सभी ने ग्राम पंचायत की बैठको की समस्त कार्यवाही में उपस्थित रहकर भाग लिया है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, वहाँ पर नॉन रिवीजनर सं01 प्रारम्भ से ही कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहा था एवं नॉन रिवीजनर के उक्त कच्चे मकान के फोटो ग्राम पंचायत की पट्टे की मूल पत्रावली में आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, जिससे भी साबित है कि उक्त भूखण्ड की जगह कच्चा मकान बना हुआ था और नॉन रिवीजन सं01 अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की हैसियत से उक्त मकान में निवास कर रहा है। रिवीजनर ने जो पारिवारिक शजरा अपनी रिवीजन के पैरा नं0-8 में बताया है, वह गलत व अपूर्ण है। क्योंकि मांगीलाल के चार पुत्र क्रमशः कल्याण, पोलू, रामचन्द्र, हरजीराम थे। जिसमें कल्याण व रामचन्द्र लाओलाद फोटो हुए थे, पोलू के दो पुत्र महावीर एवं रामलाल हुए तथा हरजीराम के तीन पुत्रिया प्रेम, रसाल एवं सुशीला हुईं। महावीर के वारिसान में प्रधान, शैतान, माया और पत्नि सीता है तथा रामलाल है। चूकि रिवीजन व नॉन रिवीजनर सं01 के पारिवारिक सम्पत्ति का पूर्व में ही 40-50 वर्ष पूर्व पहले ही बंटवारा हो चुका था तथा उक्त विवादित कच्चा मकान/भूखण्ड नॉन रिवीजनर सं. 1 के स्वयं का बनाया हुआ एवं उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य का था, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा सही रूप से जारी किया गया। रिवीजनर प्रधान द्वारा पुलिस थाना टोडारायसिंह में दर्ज करवाये गये मुकदमे में भी अनुसंधान अधिकारी ने माना कि हरजीराम ने जिस नोहरे का ग्राम पंचायत से पट्टा जारी किया करवाया है, उस जगह पर हरजीराम व उसका परिवार 50-60 वर्षों से रह रहा है, जिसकी ताईद नोहरे के अडौसी-पडौसी गवाहान ने अपने पुलिस के ब्यानों में की है और अनुसंधान अधिकारी ने यह भी माना है कि उक्त भूखण्ड पर कभी भी पोलू महावीर, रामलाल, प्रधान वगैरहा का कब्जा नहीं रहा है, इससे भी स्पष्ट है कि रिवीजनर व उसके परिवारजनों का उक्त भूखण्ड से कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है और ना ही उनको हक है।

इस प्रकार रिवीजनकर्तागण व उनके पिता महावीर का नॉन रिवीजनर सं01 के हक में जारी पट्टेशुदा भूखण्ड से कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं होता है। नॉन रिवीजनर सं01 हरजीराम 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, उसके पास उक्त पट्टेशुदा मकान के अतिरिक्त अन्य कोई मकानात नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि उक्त पट्टे को निरस्त कर दिया जाता है तो नॉन रिवीजनर सं01 अपने वैध-वैधानिक हक व अधिकारों से वंचित हो जावेगा, उसके पास आवास का साधन समाप्त हो जावेगा। अतः निवेदन है कि नॉन रिवीजनर सं0 1 की लिखित बहस स्वीकार की जाकर निगरानीकर्ता की रिवीजनर इसी स्टेज पर मय हर्जा एवं खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

नॉन रिवीजनरकर्ता की लिखित बहस के जवाब में प्रार्थीगण/ रिवीजनर की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया गया है कि :-



  
**जयसिंग नगर जिला कलेक्टर.**  
**दोब**

1. यह कि विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत भांवता द्वारा दिनांक 07.06.2019 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी आवासीय पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के प्रावधान तथा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में स्थापित नियमों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि पंचायत राज अधिनियम व उससे सम्बन्धित नियमों में यह स्पष्ट उपबंध है कि एक पंचायत राज संस्था किन भूमियों का किन आधार पर तथा किस प्रयोजन से पट्टा जारी कर सकती है। विवादित पट्टा ग्राम पंचायत भांवता ने नियत 157 के तहत जारी करना बताया है, जबकि नियम 157 यह उपबंधित करता है कि "जहां व्यक्तियों के कब्जे में आवादी भूमि में पुराने गृह हो तथा वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाने चाहते हैं, तो यह राशि जमा कराये तथा इसके पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।" इस प्रकार यह नियम ये स्थापित करता है कि इस नियम के तहत केवल पुराने गृहों का पट्टा जारी किया जा सकता है, जबकि विवादित पट्टा दिनांक 07.06.2019 जिस जगह का जारी किया गया है, वहां कोई पुराना आवासीय गृह नहीं है भूखण्ड बताया गया है तथा मौका रिपोर्ट जो पंचायत द्वारा मंगाई गई तथा उनमें जो नक्शा वर्णित है, उसमें कहीं भी निर्माण वर्णित नहीं है तथा ना ही कोई पुराना गृह अस्तित्व में हैं, फिर भी पंचायत ने भ्रष्टापूर्वक तरीका अपनाते हुए नियम 157 के तहत पट्टा जारी कर दिया, जो खारिज किये जाने योग्य है। पंचायत के समक्ष यह तथ्य मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया था कि मौके पर कोई पुराना गृह अस्तित्व में नहीं है, फिर भी नियम 157 के तहत उसने पट्टा जारी कर दिया, जो पंचायत व हरजीलाल के आपस में मिले हुए होने का प्रमाण दर्शाता है तथा पट्टा अवैध रूप से जारी किया गया है, इस तथ्य को स्थापित करता है। ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड का ही पट्टा दिये जाने का निर्णय दिया गया है, एवं उसी की पालना में ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी हरजी के पक्ष में भूखण्ड का ही पट्टा रजिस्टर्ड करवाया है एवं सिविल न्यायालय में भी हरजीराम ने इसे भूखण्ड दर्शाते हुए जवाब दिया है। इन तथ्यों से यह पूर्णतया साबित है कि ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड का ही पट्टा जारी किया गया है, जो नियम 157 राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है। धारा 157 में पुराने गृहों का नियमतिकरण का प्रावधान है। इसलिये उक्त पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह कि पंचायत के समक्ष यह तथ्य आ गया था कि विवादित जगह मांगीलाल की है, तथा मांगीलाल के तीन पुत्र हुए जिनमें से एक कल्याण लाओलाद फोट हो गया तथा एक हरजीराम है, तथा एक पोलू है, जिसके दो पुत्र महावीर व रामलाल है। महावीर की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिसान प्रार्थीगण है तथा जिनका शजरा रिवीजन के पृष्ठ संख्या 3 में चरण संख्या 3 पर अंकित है तथा हरजीलाल जब पट्टे हेतु आवेदन करता है तथा उसके समर्थन में अपना शपथ पत्र देता है, उस शपथ पत्र में यह वर्णित है कि "उक्त जगह पुश्तैनी है तथा उसके पिताजी व दादाजी के नाम इस जगह का पूर्व में पट्टा जारी नहीं किया हुआ है।" इस प्रकार तथ्य पंचायत के संज्ञान में आ गया था कि पट्टे वाली जगह पुश्तैनी है तथा मांगीलाल के हरजीराम के अलावा अन्य संताने भी है, तथा पूरी पत्रावली में पंचायत ने इस विशेष तथ्य को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि अन्य संतानों का इस जगह पर हक व हिस्सा क्यों नहीं है,



  
व्यक्तिगत विभा ६६६६६  
दोष

क्यों इस जगह का एक ही व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाये तथा सारी कार्यवाही कार्यालय में बैठकर फोरी तरीके से करके भ्रष्टापूर्वक तरीका अपनाकर हरजीराम को नाजायज फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त पट्टा जारी किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

4. यह कि पंचायत द्वारा चलाई गई पत्रावली की आदेशिकाओं को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो पहली आदेशिका दिनांक 06.08.2018 की आती है, जिस पर कटिंग हो रखी है तथा उक्त कटिंग किसी के भी द्वारा प्रमाणित नहीं है तथा उसमें आगामी पेशी दिनांक 11.08.2018 दी जाती है, परन्तु 11.08.2018 की कोई आदेशिका वर्णित नहीं है, इसके बाद सीधे ही दिनांक 20.12.2018 की आदेशिका आ जाती है, तथा इसके बाद दिनांक 21.01.2019 की आदेशिका आ जाती है, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 21.03.2019 नियत की जाती है, परन्तु दिनांक 21.03.2019 की कोई आदेशिका नहीं है। इसके बाद आदेशिका दिनांक 07.06.2019 की आती है, तथा उसी दिन पट्टा जारी करने का निर्णय कर दिया जाता है। उक्त सारी आदेशिकाओं को सरसरी तोर पर देखने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचायत व हरजीराम आपस में मिले हुए थे उक्त आदेशिकाओं में कहीं भी महावीर द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति के सम्बन्ध में कोई वर्णन नहीं है, जबकि कोई आपत्ति की जाती है तो उसका निस्तारण नियम 149 के अनुसार "युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात किया जाता है।" परन्तु पंचायत ने प्रारम्भ से ही अवैध पट्टा जारी करने की अवधारणा बना रखी थी इसलिये उक्त सारी कार्यवाही अभिलेख पर नहीं ली गई। ऐसी अनियमितता व अवैधता को दर्शाता है, जो सारी कार्यवाही को दुषित करती है। इसलिये उक्त पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

5. यह कि पंचायत ने दिनांक 20.02.2019 को महावीर के नाम उसके द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना बताया है तथा उसे 3 दिवस में पुख्ता दस्तावेज पेश करने को कहा जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण का स्पष्ट निवेदन है कि उक्त नोटिस महावीर को नहीं मिला तथा उस पर हस्ताक्षर महावीर के नहीं हैं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के पंचायत ने व हरजीराम ने मिलकर उक्त कूटरचना की है, तथा जहां तक पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य मांगने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में स्पष्ट निवेदन है कि महावीर ने यह आपत्ति लगाई थी कि विवादित भूखण्ड उनका पुश्तैनी है, जो स्वयं हरजीराम भी अपने शपथ पत्र में मान रहा है तथा स्वीकृति से बड़ी कोई साक्ष्य नहीं है तथा उक्त भूखण्ड अकेले हरजीराम का हो, ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य हरजीराम ने प्रस्तुत नहीं किया था, फिर भी अकेले उसके नाम पट्टा जारी कर भारी कानूनी भूल की है, जिससे उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि जहां तक मौका रिपोर्ट दिनांक 01.03.2019 का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण का स्पष्ट निवेदन है कि उक्त मौका रिपोर्ट अकेले में तैयार की गई है, जिस पर प्रार्थीगण व उसके परिवार के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में स्पष्ट उपबन्ध है कि मौका रिपोर्ट उन पक्षों की मौजूदगी में तैयार की जाती है, जो विवादित सम्पत्ति में हितबद्ध हो या उस कार्यवाही से पीड़ित हो, परन्तु इस उपबन्ध को दरकिनार कर प्रार्थीगण



  
 जिला कलेक्टर, जहानपुर  
 दौक

की अनुपस्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट मिलीभगत करके तैयार करवाई गई है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है।


7. यह कि नियम 157 में 50 वर्षों से अधिक समय से बने पुराने गृहों का पट्टा जारी किये जाने का उपबंध है तथा जब हरजीराम ने तथाकथित फर्जी आवेदन पट्टे हेतु किया तथा उसके समर्थन में शपथ पत्र दिया। उक्त शपथ पत्र में उसकी आयु 60 वर्ष अंकित है, यानि जिस भूखण्ड को वह प्रारम्भ से अपना बता रहा है, नियम 157 के अन्तर्गत आने के लिये उस समय उसकी आयु 10 वर्ष थी तथा 10 वर्ष की नाबालिग अवस्था में ना तो कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना मकान निर्मित कर सकता है तथा ना ही अपने परिवार व पिता से अलग से ऐसी सम्पत्ति बना व बसा सकता है, जो भविष्य में वह यह कह सके कि वह मेरी निजी सम्पत्ति है, क्योंकि कम से कम 20-25 वर्ष तक व्यक्ति अपने परिवार पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। उक्त सारा तथ्य यह स्पष्ट करता है कि विवादित भूखण्ड मांगीलाल का ही है तथा उस पर उसके सभी वारिसों का बराबर का अधिकार व हक है इसलिये अकेले हरजीराम के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

8. यह कि पंचायत राज अधिनियम 1994 एक विशेष विधि है, जिसके प्रावधान इस एक्ट में विशेषतः वर्णित है तथा जहां किसी तथ्य के बारे में कोई विशेष विधि व सामान्य विधि हो तो उस तथ्य के सम्बन्ध में विशेष विधि के उपबंध अधिभावी होंगे, यानि उक्त पट्टे को निरस्त करने का अनन्य क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही प्राप्त है तथा यह क्षेत्राधिकार विशेष विधि के तहत प्राप्त है तथा इस क्षेत्राधिकार पर अन्य न्यायालय में लम्बित कार्यवाही से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा ना ही कोई अन्य न्यायालय में कोई कार्यवाही लम्बित होने से न्यायालय का यह अनन्य क्षेत्राधिकार किसी प्रकार से परिसीमित व प्रभावित होता है। इसलिये उक्त पट्टा निरस्त करने का अनन्य क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त होने से हस्तगत पट्टे को निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

9. यह कि हरजीराम ने पट्टा प्राप्त करने के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र के साथ एक फोटोग्राफ प्रस्तुत किया था, जिसमें किसी कमरे को दिखाया था। उक्त फोटोग्राफ में दर्शित स्थान विवादित भूखण्ड का नहीं है, बल्कि किसी अन्य जगह का है, क्योंकि यदि विवादित भूखण्ड पर कमरा बना हुआ होता तो दोनों मौका रिपोर्ट जो पंचायत ने मंगाई उनमें उस कमरे का वर्णन जरूर आता परन्तु दोनो मौका रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के निर्माण का वर्णन नहीं है, जो यह स्पष्ट करता है कि हरजीराम ने गलत तथ्य घड़ करके प्रार्थना पत्र दिया था तथा गलत जगह का फोटोग्राफ दिया था, जो व्यक्ति स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आता वह कुछ भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता, इसलिये उक्त पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

10. यह कि हरजीराम ने पट्टा पाने के लिये किये गये आवेदन के समर्थनमें जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें विवादित भूखण्ड को पुश्तैनी बताया है तथा अपर जिला न्यायाधीश माननीय न्यायालय में लम्बित कार्यवाही में जब उसने अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया, उसमें विवादित



  
बाबारस चिंता कडकट.  
दोष

भूखण्ड को अपनी स्वयं के द्वारा बनाई व बसाई गई सम्पत्ति बताया है, जो एक दूसरे के विरोधाभासी तथ्य है, जिससे भी उक्त पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

11. यह कि श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश मालपुरा ने प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि पट्टे के खिलाफ कार्यवाही सक्षम न्यायालय श्रीमान अति० जिला कलेक्टर टोंक के यहां विचाराधीन है और उसमें स्थगन आदेश जारी हैं, यद्यपि प्रार्थी द्वारा इस निर्णय की अपील माननीय उच्च न्यायालय में की है, जिसमें मानीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है, जिसकी प्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

प्रार्थीगण की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं

1. डी०एन०जे० 2017 (2) (राजस्थान) पेज नम्बर 668, उनवानी जब्बार सिंह राजपूत बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि नियम 157 पुराने मकानों के लिये पट्टा जारी करना— प्रश्नगत भूखण्ड खुले भूखण्ड थे. निर्माण मौजूद नहीं था। याचीगण के पक्ष में जारी किये पट्टे को कलेक्टर द्वारा निरस्त किये गये। प्रार्थना पत्र में निर्मित मकान की मौजूदगी का उल्लेख नहीं किया गया। मौका रिपोर्ट में पुराने निर्मित मकान का मौजूद होना नहीं दर्शाया। पुराने निर्मित मकान के तथ्य का निर्धारण नहीं किया खुले भूखण्डों का नियमितीकरण अनुज्ञेय नहीं है। पट्टा जारी करने के लिये प्रारम्भ की गई कार्यवाही प्रत्यक्षतः अवैध बिना क्षेत्राधिकारिता के है।”

2. डी०एन०जे० 2015 (2) (राजस्थान) पेज नम्बर 596 उनवानी राजू चीता बनाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि जहां भूखण्ड पर दीर्घ आधिपत्य साबित करने हेतु कोई सामग्री नहीं हो, आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया हो तथा प्रचलित बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया हो वहां पट्टा निरस्त किया जाना चाहिए तथा ऐसा पट्टा प्रारम्भ से ही शून्य होता है तथा परिसीमा इसमें बाधक नहीं होती।

3. आर०एल०डब्ल्यू० 2013 (1) पेज नम्बर 243 उनवानी मनोहर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि नियम 157 के तहत पंचायत को आबादी भूमि में पुराने मकानों को निर्मित करने की शक्ति प्राप्त है उक्त नियम के तहत पंचायत भूखण्ड के लिये पट्टा जारी नहीं कर सकती। पट्टे को निरस्त किया। ”

4. डी०एन०जे० 2016 (4) राजस्थान पेज नम्बर 1799 उनवानी शांति देवी बिश्नोई बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि “नियम 157 के उल्लंघन में पट्टा जारी किया, मौके पर निर्माण झोपड़ी था कच्चा मकान होना साबित करने हेतु साक्ष्य नहीं पट्टा सही नहीं है। कलेक्टर ने पट्टा सही निरस्त किया”

5. डी०एन०जे० 2020 (1) राजस्थान पेज नम्बर 199, उनवानी भागीरथ राम बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि “जहां पट्टा रजिस्टर्ड



  
राजस्थान अतिरिक्त जिला कलेक्टर.  
टोंक

हो जाता हो तो भी श्रीमान के न्यायालय को ऐसे पट्टे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ना कि सिविल न्यायालय को पट्टा रजिस्टर्ड होने से प्राधिकारी की क्षेत्राधिकारिता वर्जित नहीं हो जाती है "

6. आर0आर0टी 2020 (1) राजस्थान पेज नम्बर 563, उनवानी खुसाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि "नियम 157 के तहत 200 रूपये में पट्टा जारी किया विवादित भूमि पर केवल 1 कमरा मौजूद था। पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किये जाने से धारा 97 के अन्तर्गत कलेक्टर ऐसे पट्टे को रद्द कर सकता है।"

7. डी०एन०जे० 2019 (2) राजस्थान पेज नम्बर 570. उनवानी इशाक खान बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि "नियम 157 के तहत 65x65 वर्गफिट भूमि के लिये 200 रूपये में पट्टा जारी किया। यह दर्शाने हेतु सामग्री नहीं कि अपीलान्ट पुराने मकान के आधिपत्य में था पट्टा जारी करने के समय अपीलान्ट 14-15 वर्ष का था। नियम 157 के अन्तर्गत रिक्त भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता।"


8. डी०एन०जे० 2016 (3) राजस्थान पेज नम्बर 1202, उनवानी प्रकाशचन्द बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि "प्रार्थना पत्र में कुछ भी उल्लेख नहीं किया कि याचि कब से विवादित भूखण्ड के कब्जे में था। तथा किस आधार पर वह स्वत्व का दावा करता है। मौका रिपोर्ट में कब्जे की अवधि वर्णित नहीं है। केवल नोटिस जारी किया आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत ने संतुष्टि दर्ज नहीं की कि भूमि के नीलाम से उपयुक्त मूल्य प्राप्त नहीं होगा। पट्टा खारिज किया।"

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में हसतगत पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण/ रिवीजनर की ओर लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत भांवता द्वारा जारी आवासीय पट्टा संख्या 20 जो प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 07.06.2019 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में 197.22 वर्गगज का जारी किया गया है, को निरस्त किया जावे तथा रिवीजनर के साथ न्याय किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत जवाबों का अवलोकन किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि सरपंच, ग्राम पंचायत भांवता द्वारा जारी आवासीय पट्टा संख्या 20 जो प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 07.06.2019 द्वारा विपक्षी संख्या 1 हरजीराम पुत्र मांगीलाल धाकड निवासी भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक के पक्ष में 197.22 वर्गगज का जारी किया गया है, पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में पहली आदेशिका दिनांक 06.08.2018 की है, जिस पर कटिंग की गई है, तथा उक्त कटिंग किसी के भी द्वारा प्रमाणित नहीं है तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करने के आदेश तथा पंचायत बैठक में उपस्थित होने हेतु आगामी पेशी दिनांक 11.08.2018 दी गई है, परन्तु 11.08.2018 की कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है, तथा सीधे ही दिनांक 20.12.2018



  
व्यक्तिगत विद्या कलेक्टर  
टोंक

की आदेशिका लिखी है, जिसमें भी कटिंग की गई है ओर अंकित किया गया है कि तीन पंचों की समिति गठित कर स्थल की जाँच करें किन्तु कोई आगामी तारीख अंकित नहीं की गई। दिनांक 21.01.2019 की आदेशिका लिख कर आगामी पेशी दिनांक 21.03.2019 नियत की गई है, उसमें लिखा गया है कि तीन माह का नोटिस जारी हो परन्तु उसमें भी कांट छाट कर एक माह किया गया है। इसके बाद आदेशिका दिनांक 07.06.2019 को दिनांक में काट छाट कर उसी दिन पट्टा जारी करने का निर्णय लिया है। इससे प्रतीत होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत भौवता द्वारा पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह साबित होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत भौवता द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 व पट्टा सं० 20 दिनांक 7-6-2019 विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जारी किया गया है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत भौवता द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 व पट्टा सं० 20 दिनांक 7-6-2019 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता आंशिक रूप से स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत भौवता तह० टोडारायसिंह प्रस्ताव संख्या 4 व पट्टा सं० 20 दिनांक 7-6-2019 निरस्त कर प्रकरण सरपंच ग्राम पंचायत भौवता को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेजों व कब्जे सम्बन्धी जाच कर विधिक प्रक्रिया अनुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निर्णय आज 01.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धानका)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
टीक